UPJS010021992026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

उपस्थित- कमलेश कच्छल (उच्चतर न्यायिक सेवा) J. O. Code No. UP1881

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं- 781/ 2026 (CNR N0- UPJS01- 002199- 2026)

पियुष शांतीलाल वीरा उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र शांतीलाल गंग्जीवीरा, निवासी- 102 शिव प्रसाद बिल्डिंग, गोविन्द भगवती कॉम्पलेक्स, थाना- तुलिंज बसाई, जिला- पालघर (महाराष्ट्र) । **- - - - - आवेदक/ अभियुक्त**

बनाम

उ०प्र० राज्य **- - - - - - - - - - अभियोजक**

मु०अ०सं०- 395/ 2025

धारा- 318(4) ,336(3) ,338, 340(2) ,61(2) (A) BNS

थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी।

दिनाँक- 02. 06. 2026

1- प्रश्नगत **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र, आवेदक/ अभियुक्त **पियुष शांतीलाल वीरा** की ओर से मु०अ०सं०- 395/ 2025 धारा- 318(4) ,336(3) ,338,340(2) ,61(2) (A) भारतीय न्याय संहिता, थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वह कारागार में निरूद्ध है।

2- जमानत आवेदन के साथ शपथकर्ता दीपक सतीश शरंगी पुत्र सतीश शरंगी का शपथ पत्र 4 बी दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार वह अभियुक्त का मित्र व तथ्यों से पूर्ण वाकिफ है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है, इसके पूर्व कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही निरस्त अथवा लम्बित है।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा देवेन्द्र पटेल (वरिष्ठ सहायक, वि० अनु०शा० राज्य कर, झाँसी क्षेत्र झाँसी) द्वारा दिनांक- 18. 12. 2025 को थाना- कोतवाली, जिला झाँसी पर इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की गयी कि- *"प्रार्थी कार्यालय उपायुक्त वि०अनु०शा०, राज्य कर वाणिज्य कर भवन, 125 सिविल लाइन्स झाँसी में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। अपने राजकीय कार्य के दौरान केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में पंजीकृत मेसर्स काजल इण्टरप्राईजेज द्वारा ऑनलाइन (GST Portal पर) अभिलेखों की समीक्षा पर पाया गया कि मेसर्स काजल इण्टरप्राईजेज ने Knitted Crocheted Fabrics & Ferrous waste and scrap, remelting scrap ingots of iron or steel की खरीद- बिक्री हेतु दिनांक- 10. 04. 2025 को पंजीयन सं०- GSTIN- 09BPJPK93901ZJ प्राप्त किया था। उक्त GSTIN को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के क्षेत्राधिकार प्राधिकारी द्वारा ऑटो एप्रूब्ड कर जारी किया गया था। पंजीयन हेतु दाखिल ऑनलाइन आवेदन में फर्म स्वामी श्रीमती काजल द्वारा स्थाई पता- 29/ B Phase- 2A. Mahesh Vihar, Om Vihar Utaam Nagar, West Delhi, Pin- 110059 एवं मोबाईल नं०- 85058xxxxx एवं Email Address- Ka. Kajal013@ Koskar. net दर्ज किया गया है। फर्म स्वामी द्वारा GST Portal पर बैंक विवरण में खाता सं०- 4053106 xxxxx बैंक पता - SBI BT25 Shalimaar Bagh Delhi- 110088 दर्ज किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के साथ Electricity bill दाखिल किया गया है। केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा माल व सेवा कर अधिनियम 2017 की नियमावली के नियम- 21(a) के अन्तर्गत फर्म का पंजीयन दि०- 12. 09. 2025 को सस्पेंड कर दिया गया है। GST अधिनियम की धारा- 2(62), 2(63) व 2(83) के प्रावधानों के अनुक्रम में पंजीकृत करदाता द्वारा अपने GST रिटर्न (GSTR- 3B) में ली गई इनवर्ड आपूर्ति पर सप्लायर को दिये गये GST के बराबर Input Tax Credit का दावा करना होता है, जिसका उपयोग पंजीकृत करदाता अपने GSTR- 1 में दर्शायी गई आउटवर्ड आपूर्ति पर स्वीकृत करदेयता के निष्पादन में अपने GST रिटर्न में किया जाता है। संबंधित फर्म सर्वश्री काजल इण्टरप्राईजेज द्वारा वित्तीय वर्ष 2025- 26 में मु०- 4,04,04,672/ - रूपये की आउटवर्ड सप्लाई घोषित करते हुए मु०- 72,72,841/ - रूपये की IGST की करदेयता स्वीकार की गई है तथा समस्त करदेयता का समायोजन बोगस आईटीसी से किया गया है। फर्म सर्वश्री काजल इण्टरप्राईजेज द्वारा वित्तीय वर्ष 2025- 26 में बिना किसी इनवर्ड सप्लाई प्राप्त किये निम्न फर्म को आउटवर्ड सप्लाई की गई है- GSTIN 07HXFPM9098RIZ3 Trade Name Hari Om Traders, 40 Khera Kalan, New Delhi, North Delhi 110082 Taxable Value*

Digitally signed by Kamlesh Kuchhal
Date: 2026.06.02 13:33:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

40404672. 00 IGST 7272841. 00 विवरण तालिका के अनुसार फर्म सर्व श्री काजल इण्टरप्राईजेज द्वारा वित्तीय वर्ष 2025- 26 में बिना किसी इनवर्ड सप्लाई प्राप्त किये मु०- 74,22,277. 68 रूपये की बोगस IGST की आईटीसी क्लेम व यूटिलाईज्ड की गई तथा कुल- 4,04,04,672/ - रूपये की आउटवर्ड सप्लाई घोषित कर मु०- 72,72,841/ - रूपये की बोगस IGST की आईटीसी आपूर्तिकर्ता फर्म मेर्सस हरिओम ट्रेडर्स को पास- आन की गई। इस प्रकार फर्म सर्व श्री काजल इण्टरप्राईजेज के द्वारा बिना वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किये केवल प्रपत्रों का आदान प्रदान कर इनवर्ड सप्लाई घोषित की गई है तथा इस बोगस इनवर्ड सप्लाई के सापेक्ष बोगस आर्जित आईटीसी क्लेम की गई है। फर्म द्वारा इस प्रकार अनुचित रूप से प्राप्त की गई आईटीसी का उपयोग अपनी आउटवर्ड सप्लाई की करदेयता के निस्तारण में करते हुए वित्तीय वर्ष 2025- 26 में मु०- 72,72,841/ - रूपये राजस्व की क्षति कारित की गई है। केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पंजीकृत उक्त फर्म सर्वश्री काजल इण्टरप्राईजेज के घोषित व्यापार स्थल गली- 1, 90 मोहनी लेडीज टेलर्स, झाँसी की जांच दि०- 12. 09. 2025 को वि०अनु०शा०इकाई झाँसी सम्भाग झाँसी द्वारा की गई, तो उक्त फर्म घोषित व्यापार स्थल पर अस्तित्व में नहीं पाई गई। जांच के समय घोषित पते के मकान मालिक से उक्त फर्म के बारे में व फर्म के स्वामिनी श्रीमती काजल के बारे में पूछने पर लोगों ने बताया कि वह उन्हें नहीं जानते हैं और न ही इस स्थान पर इस फर्म का कोई व्यापार होता है। पंजीयन में घोषित मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क करने पर मोबाईल नम्बर कार्यरत नहीं पाया गया। उक्त कृत्य अस्तित्वहीन/ फर्जी फर्म द्वारा सुनियोजित तरीके से आईटीसी का अनुचित लाभ पहुंचाने (pass- on) हेतु करापवंचन के आशय से किया गया है। अतः भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में अस्तित्वहीन फर्म सर्वश्री काजल इण्टरप्राईजेज के स्वामिनी श्रीमती काजल के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्यवाही करने का कष्ट करें।" उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर दिनांक- 18. 02. 2025 को प्रश्नगत मामला धारा- 318(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन श्रीमती काजल के विरूद्ध पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है, जिसमें दौरान विवेचना मामले में धारा- 318(4), 336(3),338, 340(2),61(2) BNS का अपराध होने एवं मामले में आवेदक/ अभियुक्त का नाम प्रकाश में आने पर दि०- 28. 03. 2026 को उसे गिरफ्तार किये जाने के अनुक्रम में वह न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है।

4- आवेदक/ अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया है कि अभियुक्त सर्वदा निर्दोष है, उसके द्वारा कथित धाराओं का अपराध कारित करने का कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है और न ही उसके विरूद्ध रिपोर्ट में कोई आरोप लगाया गया है। अभियुक्त का मेसर्स काजल इण्टरप्राईजेज नामक फर्म से कोई व्यापारिक संबंध नहीं है और न ही उसने उक्त फर्म के नाम से कोई व्यापार किया है। अभियुक्त एक ईमानदार व्यापारी है, वह ईमानदारी से व्यापार कर, जी०एस०टी० व व्यापार से संबंधित अन्य करों को अदा करता है। अभियुक्त ने कोई फर्जी कम्पनी खोल कर व्यापार नहीं किया है। अभियुक्त की फर्म जी०एस०टी० में तीन साल पूर्व से पंजीकृत है और वह अपनी पंजीकृत फर्म के नाम से ही व्यापार करता है, इस संबंध में अभियुक्त की ओर से नेट से प्राप्त दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये है। विवेचक ने मनमाने तरीके से विवेचना कर उसे मामले में गलत गिरफ्तार किया है। मामला जी०एस०टी० कानून के उल्लंघन से संबंधित है, जिसके संबंध में पृथक से कानून है और जी०एस०टी० का उल्लंघन करने पर दण्ड व आर्थिक दण्ड का प्रावधान है, ऐसे में भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना न्याय संगत नहीं है। जी०एस०टी० की धारा- 122, 122(B),123,124,125,126,127,132 में दण्ड के प्रावधान दिये गये हैं कि किन परिस्थितियों में एक टैक्सेबिल पर्सन को दण्डित किया जा सकता है, जो आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये हैं, उनका उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान है। अभियुक्त एक माह से अधिक समय से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

5- राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा जमानत का विरोध करते हुये यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा अपनी फर्म के माध्यम से मेसर्स काजल इण्टरप्राईजेज व अन्य फर्मो को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से संबंधित फर्म स्वामियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके बिना किसी इनवर्ड सप्लाई प्राप्त किये आउटवर्ड सप्लाई कर दर्शा कर बोगस फर्मों व फर्जी इनवाईस बिल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025- 26 में मु०- 72,72,841/ - रूपये राजस्व की क्षति कारित की गई है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, उसे जमानत पर रिहा करने पर पुनः अपराध कारित करने व साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना बताते हुये जमानत आवेदन निरस्त करने की याचना की गयी।

6- आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध केस डायरी सहित संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7- अभियोजन का कथन है कि मामले में फर्जी फर्म- मेसर्स काजल इण्टरप्राईजेज बनाकर फर्जी व्यापार दर्शाते हुये फर्जी इनवाइस बिल के आधार पर आईटीसी जनरेट की गई और उसे विभिन्न कम्पनियों को पास- ऑन कर मु०- 72,72,841/ - रूपये की राजस्व क्षति पहुँचाई गई।

8- पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक फर्म मेसर्स काजल इण्टरप्राईजेज प्रकाश में आयी, जिसके द्वारा मु०- 4,04,04,672/ - रूपये की फर्जी आउटवर्ड सप्लाई घोषित करते हुए कुल- 72,72,841/ - रूपये की बोगस IGST की आईटीसी अपने आपूर्तिकर्ता फर्म सर्वश्री हरिओम ट्रेडर्स को पास- आन की गई। उसके उपरांत हरिओम ट्रेडर्स द्वारा अन्य फर्म सुविधा इण्टरप्राईजेज को फर्जी आईटीसी पास- ऑन की गई और सुविधा इण्टरप्राईजेज द्वारा नमो अरिहंत ट्रेडिंग कम्पनी को तथा नमो अरिहंत ट्रेडिंग कम्पनी से जगदम्बा ट्रेडिंग कम्पनी को फर्जी आईटीसी पास- ऑन की गई है। जबकि उपरोक्त कोई भी फर्म वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, केवल जीएसटी की चोरी हेतु फर्जी प्रपत्र के आधार पर उक्त फर्में पंजीकृत कराई गयी है और उनके माध्यम से जीएसटी की चोरी हेतु फर्जी इनवाइस बिल आदि तैयार किये गये है।

9- अभियोजन का कथन है कि जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त कम्पनियों द्वारा धारा- 16(4) जीएसटी एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, जो भी कम्पनियां दर्शायी गयी है, उनके द्वारा किस इनवाइस बिल के जरिये माल अन्य फर्म को स्थानान्तरित किया गया और किस प्रकार ट्रांसपोर्ट किया गया स्पष्ट नहीं किया गया है।

10- विवेचनाधिकारी द्वारा मामले में पर्याप्त साक्ष्य उक्त फर्जी कम्पनियों के विरूद्ध झाँसी, दिल्ली व मुम्बई से संकलित किये गये हैं तथा कई फर्जी कम्पनियों के अस्तित्व कीजानकारी दौरान विवेचना हुई है। आवेदक/ अभियुक्त की फर्म जगदम्बा ट्रेडिंग कम्पनी का नाम भी दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। केस डायरी के पर्चा सं०- 17 में विवेचनाधिकारी ने दौरान विवेचना यह पाया कि अभिलेख में दर्शाये गये पते/ स्थान पर जगदम्बा ट्रेडिंग कम्पनी मौजूद नहीं थी तथा नमो अरिहंत ट्रेडिंग कम्पनी नाम की भी कोई कम्पनी अस्तित्व में नहीं है। जाँच पर जगदम्बा ट्रेडिंग कम्पनी के स्वामी/ आवेदक/ अभियुक्त को, उसके मोबाइल नम्बर से लोकेशन प्राप्त करने के उपरांत मामले गिरफ्तार किया गया है। दौरान पूंछतांछ आवेदक/ अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि जगदम्बा ट्रेडिंग कम्पनी में नमो अरिहंत ट्रेडिंग कम्पनी का कोई अस्तित्व नहीं है। आवेदक/ अभियुक्त की सक्रिय भूमिका जीएसटी चोरी के इस प्रकरण में रही है। मामले में सहअभियुक्त नीरज रंजन गुप्ता का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में दिनांक- 08. 05. 2026 को निरस्त किया जा चुका है।

11- अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थिति एवं आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को देखते हुए इस स्तर पर आवेदक/ अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः आवेदक/ अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/ अभियुक्त **पियुष शांतीलाल वीरा** की ओर से मु०अ०सं०- 395/ 2025 अन्तर्गत धारा- 318(4), 336(3),338,340(2),61(2) (A) भारतीय न्याय संहिता, थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 781/ 2026 **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की एक प्रति आवेदक/ अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनाँक- 02. 06. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झांसी।